प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर जनता से अवैध वसूली करने वाले अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री आर. पी. सिंह द्वारा वांछित अभियुक्त तथा अपराध व अपराधियों के नियंत्रण एवं चेकिगं संदग्धि व्यक्ति/वाहन के अभियान तथा घटनाओं को रोकनें व अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में थाना अटरिया पुलिस द्वारा दिनांक 03.10.2020 को थाना क्षेत्र के ग्राम भवनपुर मजरा रायपुरदेव सिंह में कुछ प्राइवेट व्यक्ति अपने आप को पुलिस अधिकारी बताते हुए वाहनों एवं मास्क न लगाये हुए व्यक्तियों की चेकिंग के नाम पर जनता के लोगो से अवैध वसूली कर रहे थे। सूचना प्राप्त होने पर थाना अटरिया पुलिस द्वारा मौके पर जाकर अवैध चेकिंग के नाम पर वसूली करने वाले 03 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया तथा 02 व्यक्ति मौके से भागने में सफल रहे। उक्त सभी व्यक्तियों के विरुद्ध फर्जी तरीके से झूठ बोलकर अवैध वसूली करने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत करते हुए चालान माननीय न्यायायलय किया गया है।

पंजीकृत अभियोग

- मु0अ0स0 297/20 धारा 419/420/384 भा.द.वि. थाना अटरिया जनपद सीतापुर।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. अनुज शुक्ला पुत्र चन्द्र प्रकाश शुक्ला निवासी गंगा सागर एण्ड कम्पाउंड तकरोही थाना इन्दिरा नगर जनपद लखनऊ।
2. राकेश कुमार पुत्र जनक लाल कश्यप निवासी गंगा सागर एण्ड कम्पाउंड तकरोही थाना इन्दिरा नगर जनपद लखनऊ।
3. रवीन्द्र कुमार पुत्र राम चन्द्र रावत निवासी चांनदन थाना इन्दिरा नगर जनपद लखनऊ हाल पता म0 न0 8/74 शिवाजी पुरम थाना इन्दिरा नगर जनपद लखनऊ।

<u>नाम पता फरार अभियुक्तगण</u>

1. गौरव श्रीवास्तव निवासी नरही दैनिक जागरण कार्यालय के पीछे लखनऊ।
2. दुष्यन्त कुमार रावत नि० ग्राम जमखनवा थाना इटौंजा लखनऊ

<u>बरामदगी</u>

1. जनता से वाहन व मास्क चेकिंग से अवैध वसूली के 1600/- रु0 बरामद।
2. एक अदद मोटर साइकिल पल्सर UP 70 EA 8173 रंग काला जिस पर पुलिस लिखा हुआ है।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना अटरिया</u>

1. HC सुरेन्द्र सिंह
2. आरक्षी कुलदीप कुमार